



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग को आपराधिक धमकी देने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 8000 रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-266/2016 धारा- 354A, 506, भा0द0सं0 व 08 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मल्लू पुत्र मदन निवासी छिकारा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री रुद्रप्रताप  
सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 सत्यविजय  
सिंह



पैरोकार- थाना जरिया  
का0 सन्तोष यादव